प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1167 / 2020

अनवान : –

1. विनोद पुत्र ओमप्रकाश जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र हजारी जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. चरणसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी पप्पुराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर हाल निवास हुणतपुरा ढाणी तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर।
4. सन्तोष पुत्री ओमप्रकाश पत्नी बेगराज जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर हाल निवास हुणतपुरा ढाणी तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 22.06.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 18 / 13 की कुल 7.9920 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 231 / 221 की कुल 7.9920 हैक्ट भूमि में 1 / 2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा हजारी पुत्र भैराराम के नाम दर्ज थी। उनकी फौतदगी के बाद वादी के पिता यानि की प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी स0 2 ता 4 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 जो की वादी कि वादी भुआ एवं प्रतिवादीगण स0 1 की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई ह[illegible] है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 [illegible] बाद हक त्याग वाद भूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:24 IST
Reason: SelfAttested

पर वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 18/13 की कुल 7.9920 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 231/221 की कुल 7.9920 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 18/13 की कुल 7.9920 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 231/221 की कुल 7.9920 हैक्ट भूमि [illegible] हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में [illegible] वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित [illegible] जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीलन जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –1167 / 2020
अनवान : –

1. विनोद पुत्र ओमप्रकाश जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र हजारी जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
2. चरणसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर।
3. सुमन पुत्री ओमप्रकाश पत्नी पप्पुराम जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर हाल निवास हुणतपुरा ढाणी तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर।
4. सन्तोष पुत्री ओमप्रकाश पत्नी बेगराज जाति बावरी साकिन भगवान तहसील नोहर हाल निवास हुणतपुरा ढाणी तहसील पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1167 सन 2020 निर्णय दिनांक 22.06.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 18/13 की कुल 7.9920 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 231/221 की कुल 7.9920 हैक्ट भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त दोनो खातों में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 व 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–मलवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.22 14:23:24 IST
Reason: SelfAttested